



email: cfbhagi-forest-uk@nic.in

फोन/फैक्स-0135-2431159.

कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

पत्रांक - 650/12-12) दिनांक, मुनिकीरेती 16/10/2018।

सेवा मे,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर,  
फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से मैसकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.785 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/30646/2017।

संदर्भ:- ऑनलाईन इंगित कमियां दिनांक-25.07.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से उल्लेखित कमियों का बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है जो आपको संस्तुति सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Justification for locating project in forest land is not C/S by DFO.	बिन्दु संख्या-01 अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा वन भूमि का औचित्य पूर्ण मांग पत्र भाग-01 के पैरा D (i) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। (संलग्न-01)।
2.	Employment detail seem incorrect.	बिन्दु संख्या-02 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा E (ii) में मानव दिवसों की संख्या संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है।
3	Date and area is not mentioned in FRA certificate.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 में दिनांक एवं क्षेत्रफल अंकित कर प्रमाण-पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिसकी प्रति आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु मय संलग्नकों के प्रेषित की जा रही है(संलग्न-02)।
4	following document have not been found uploaded in web portel- I-Muck Disposal plan II-Work not start certificate III-CA site suitability certificate IV-Geologist report and other standard undertaking.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भाग-01 के एडिशनल कॉलम के क्रम संख्या-10,11,12 एवं 13 में मक डिस्पोजल प्लान, कार्य प्रारम्भ न करने का प्रमाण-पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण-पत्र एवं भूमि वैज्ञानिक रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
5	Area mentioned in CA scheme is 1.785 ha instead of double the area proposed for diversion.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा भाग-01 के पैरा L iv b में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का क्षेत्रफल 3.57 हे० संशोधित कर दिया गया है। पूर्व में 1.785 हे०

		त्रुटिवश अंकित किया गया था।
6	Distance from nearest protected area is not mentioned.	बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा वन भाग-01 के एडिशनल कॉलम के कम संख्या-14 में प्रस्तावित परियोजना से वन भूमि की दूरी का प्रमाण-पत्र अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न-यथोपरि :-

भवदीय

(पी0के0 पात्रो)  
वन संरक्षक

संख्या :- 650/ , तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती को उनके पत्रांक-967/12-1(2), दिनांक-11.10.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पी0के0 पात्रो)  
वन संरक्षक